न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 13/2012 (05/2008)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये राजेन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. राजेन्द्र चौधरी पुत्र स्व. प्रहलाद चौधरी मालिक फर्म मै. जय श्री कृष्ण मारूति सर्विस, सेंटर चौधरी भवन सिविल लाईन्स रोड, मेडता, जिला नागौर 2. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम जाट निवासी डांगावास तहसील मेडता जिला नागौर हाल कार्यकर्ता मै.जय श्री कृष्ण मारूति सर्विस सेन्टर, चौधरी भवन सिविल लाईन्स रोड, मेडता जिला नागौर 3. मैसर्स जय श्री कृष्ण मारूति सर्विस सेन्टर, चौधरी भवन सिविल लाइन्स रोड मेडता, जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामजीवन बेनीवाल।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री भगवानसिंह राठौड़

निर्णय दिनांक – 07/10/2019

यह आवेदन पत्र प्रार्थी रसद विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए. के तहत प्रस्तुत कर सीजसुदा 18 गैस सिलेण्डर, एक मोटर पम्प मय पाईप को समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रकरण संख्या–05/2008 दर्ज कर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.03.2008 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 17.03.2008 के विरूद्ध फौजदारी अपील संख्या–34/2008 राजेन्द्र चौधरी वगैरह बनाम राजस्थान राज्य एवं 35/2008 छोटूखां वगैरह बनाम राजस्थान राज्य श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय मेड़ता ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.2011 से पक्षकारान की विधिवत सुनवाई के निर्देशों के साथ प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया गया। श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता द्वारा निर्णय में दिये गये निर्देशों के कम में प्रकरण पुनः रसद मामला संख्या 13/2012 दर्ज किया गया। प्रकरण में प्रार्थी को साक्ष्य प्रार्थी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा साक्ष्य प्रार्थी पेश नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 4.4.19 अनुसार साक्ष्य प्रार्थी बंद की गई। वकील अप्रार्थी को साक्ष्य अप्रार्थी पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकील अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 12.09.2019 अनुसार साक्ष्य अप्रार्थी बंद की गई एवं प्रकरण बहस अंतिम हेतु नियत किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि दिनांक 18.12.07 को श्री धर्मपाल शर्मा, जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा मेडता प्रवास के दौरान घरेलू रसोई गैस के व्यवसायिक उपयोग की जांच करने हेतु मैसर्स जय श्री कृष्ण मारूति सर्विस सेन्टर (अप्रार्थी फर्म) का आकस्मिक निरीक्षण, हमराह श्री सज्जनसिंह प्रवर्तन निरीक्षक मेडता के किया गया। अप्रार्थी फर्म मैसर्स जय श्री कृष्ण मारूति सर्विस सेन्टर में वाहनो की सर्विस, मरम्मत, गैस भरने आदि के कार्य किये जाते है। वक्त निरीक्षण इस सर्विस सेन्टर पर मारूति कारों, मारूति वैन आदि वाहनों में घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर लगाये जा रहे थे और वाहनो की टंकियों में मोटर पम्प से रसोई गैस के घरेलू उपयोग के सिलेण्डरों से गैस भी भरी जा रही थी। वाहनों में गैस भरने का कार्य अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश करता हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान दो वाहनों में घरेलू रसोई गैस के सिलेण्डर

कलक्टर, नागौर

लगाये हुए पाये गये जो आधे भरे हुए थे, जिन्हे नीचे उतरवाया गया। इन दोनो वाहनो पर नम्बर आर.जे. 21 सीए. 0506 तथा आरजे. 20 टी. 0210 लगे हुए पाये गये। इस सर्विस सेन्टर की तलाशी के दौरान गैरेज के दक्षिण में स्थित एक कमरे में कुल 16 गैस सिलेण्डर पाये गये। इस प्रकार घरेलू रसोई गैस का वाहनों को चलाने हेतु उनमें भरना तथा कारबार परिसर में इस प्रकार भरे हुए व खाली गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करना, लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेल्यूलेशन ऑफ यूज इन मोटर व्हीकल्स) ऑर्डर– 2001 के क्लॉज 3 (1), (2) तथा (रेल्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर– 2000 के क्लॉज 3 (c), 4 1(a), 7(1)(a), (b), (c) का स्पष्ट उल्लंघन होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने के कारण अप्रार्थी फर्म के कारबार परिसर में पाये गये, 2 इण्डेन के भरे हुए व्यवसायिक सिलेण्डर, 1 इण्डेन का भरा हुआ घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 5 इण्डेन के घरेलू रसोई गैस के खाली सिलेण्डर तथा भारत पेट्रोलियम (भारत गैस) के घरेलू रसोई गैस के 10 खाली सिलेण्डर, इस प्रकार कुल 18 सिलेण्डर, एक सिलेण्डर से वाहनों में गैस भरने का यंत्र (मोटर पम्प) मय पाईप के, सबूत हेतु मौके पर कब्जे सरकार लिये गये और हिफाजत से रखने हेतु श्री यशपाल सिंह पुत्र ज्ञानसिंह शेखावत कार्यकर्ता मैसर्स विष्णु गैस एजेन्सी, मेडता की सुपुर्दगी में दिये जाने का कथन करते हुऐ उक्त सीजसुदा 18 गैस सिलेण्डर एवं एक मोटर पम्प मय पाईप को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत समपहरण (Confiscation) का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

वकील श्री भगवानसिंह राठौड़ ने अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया कि फर्म जय श्री कृष्ण मारूति सर्विस गैरेज में वाहनों की केवल मरम्मत का काम किया जाता है। गैस आदि भरने आदि का काम नहीं किया जाता है। यह गलत है कि वक्त निरीक्षण गैरेज पर मारूती कार व मारूती वैन आदि के कोई घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर लगाये जा रहे हो। यह भी गलत है कि वाहनों की टंकीयों में मोटर पम्प से कोई रसोई गैस भरी जा रही हो तथा न ही वक्त निरीक्षण अप्रार्थी ओमप्रकाश गैरेज में सर्विसिंग का कार्य ही कर रहा था। गैरेज में मात्र वाहनों की मरम्मत का काम किया जाता है। गैस सिलेण्डर अप्रार्थीगण के नहीं है बल्कि अंकित कारवालों के गैस सिलेण्डर थे, जिससे अप्रार्थीगण का कोई सरोकार भी नहीं है। यह गलत है कि हमारे गैरेज के पीछे पूर्व साइड में विष्णु गैस एजेन्सी मेडता सिटी का सप्लाई प्वाइन्ट ग्रामीण क्षेत्र बाबत आया हुआ है जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के 16 सिलेण्डर भरने के लिये रखे गये थे। जो सभी सिलेण्डर खाली थे तथा जो ग्रामीणों के है। इस संबंध में गैस सिलेण्डर मालिकों द्वारा अलग से उनके स्वामित्व के सिलेण्डर होने बाबत प्रमाण व सिलेण्डर पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी जवाब के साथ पेश किये गये है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की परिधि में आता हो। तमाम गैस सिलेण्डर जो प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के गैरेज में पूर्व में विष्णु गैस एजेन्सी का सप्लाई प्वाईट ग्रामीण क्षेत्र आया हुआ है। जहां से जो सिलेण्डर कब्जे में लिये गये उनका अप्रार्थीगण से कोई सरोकार नहीं है। उक्त गैस सिलेण्डर के मालिकों द्वारा अपने–अपने गैस सिलेण्डर उक्त ग्रामीण प्वाईट पर खाली सिलेण्डरों को भराने के लिये रखे थे। गैस सिलेण्डरो के मालिकों की ओर से दरख्वास्त मय शपथ पत्र व ठोस सबूत न्यायालय हाजा के समक्ष पेश कर दिये है जिससे अप्रार्थीगण कतई दोषी नहीं होने का कथन करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध विरचित कार्यवाही हाजा ड्रोप करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द चैकिंग रिपोर्ट 18.12.07 जो रसद विभाग द्वारा अप्रार्थीगण एवं मौतबिरान के समक्ष तैयार की गई एवं जिस पर इनके हस्ताक्षर भी लिये गये है, के अनुसार अप्रार्थी फर्म मैसर्स जयश्री कृष्णा मारूति सेटंर चौधरी भवन सिविल लाईन रोड़ मेड़ता के आक्समिक निरीक्षण/छापा कार्यवाही के दौरान उक्त सर्विस सेन्टर पर मारूति वैन एवं मारूति कारों में मारूति किट वाली गाड़ियां में टंकियों से गैस भरी जा रही थी तथा कुछ गाड़ियों में गैस के भरे हुऐ सिलेण्डर लगाये जा रहे थे, जिस पर परिसर क्षेत्र की तलाशी में कारबार परिसर में 2 इण्डेन के भरे हुए व्यवसायिक सिलेण्डर, व इण्डेन का एक भरा हुआ तथा पांच खाली घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, तथा भारत पेट्रोलियम (भारत गैस) के घरेलू रसोई गैस के 10 खाली सिलेण्डर, इस प्रकार कुल 18 सिलेण्डर, एक सिलेण्डर से वाहनों में गैस भरने का यंत्र (मोटर पम्प) मय पाईप के पाये जाने पर इन्हे जब्त सरकार किया गया। इस प्रकार घरेलू रसोई गैस का वाहनों को चलाने हेतु उनमें भरना तथा कारबार परिसर में इस प्रकार भरे हुए व खाली गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करना, लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेल्यूलेशन ऑफ यूज इन मोटर व्हीकल्स) ऑर्डर– 2001 के क्लॉज 3 (1), (2) तथा (रेल्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर– 2000 के क्लॉज 3 (c), 4 1(a), 7(1)(a), (b), (c) का स्पष्ट उल्लंघन होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत

दण्डनीय अपराध होने से अप्रार्थी के समक्ष मौके पर से जब्त किये जाकर कब्जे सरकार लिये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र के साथ अन्य व्यक्तियों के सिलेण्डर होने बाबत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, प्रार्थी रसद विभाग की टीम व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा मौतबिर व्यक्तियों के समक्ष तैयार की गई फर्द चैकिंग व मौका रिपोर्ट की सत्यता पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण अभिलेख पर नहीं आया है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जबाब व उसके साथ प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र इस कार्यवाही से बचने के लिए बनाये हुऐ प्रतीत होते है। इस प्रकार रसद विभाग द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 18.12.2007 सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा 18 गैस सिलेण्डर नम्बर 440875, 16691, 290151, 172760, 338620, 957831, 316809, 100556 (इंडेन) तथा 35882, 622208, 068603, 306538, 665628, 291210, 018907, 325613(बीपीसी) तथा, 148203, 77677(इंडेन 19 केजी) मय गैस व मोटर पम्प मय पाईप को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार समपहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा जब्तशुदा उक्त गैस सिलेण्डर मय गैस व मोटर पम्प मय पाईप को नियमानुसार कीमतन निस्तारण कर, प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराने के आदेश जिला रसद अधिकारी नागौर को दिये जाते है। उक्त निस्तारण पर प्राप्त राशि राजकीय घोषित की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:28:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: